

अनवान

वशंत सिंह

बनाम वसीव कौर आदि

<p>तारीख हुकम</p>	<p>मु.न. 112/2016 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धारा 53, 88, 188 RTA</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी</p>
<p>२०/१८</p>	<p>वकील वादी के निवेदन पर उक्त पत्रावली आप्त की पेशी में ली गई। वकील वादी श्री योगेश बंसल ने एक प्राचन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी का प्रतिवादी गण से रजिनामा हो गया है इसलिए वादी वशंत सिंह उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता व दावा को इसी स्टेज पर ड्रॉट प्रेस करना चाहता है पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वादी को सुना गया वकील वादी के प्राचन पत्र के आधार पर इस प्रकरण को गौड प्रेस के अन्तर्गत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली निगीति होकर नम्बर से कम होकर वाखिल पक्तर हो</p>	



वाखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
गंगानगर (श्री गंगानगर)